पूर्व मध्य रेलवे
पूर्व मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway Railway

EAST CENTRAL RAILWAY
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

RBE No.- 18/15

CPO's Sl. No. 25/15

No. E/MISC/0/GCR/HJP

dated : 7/4/15

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू0म0रे0, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / पूमरे / हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पूमरे / हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
10. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पूमरे / हाजीपुर

विषय / Sub: पूर्व रेलवापसी नीति 2010-18 के अनिवियुक्त पद धारियों (SLSI) को आई आर सी टी सी से रेलवे में वापस भेजना.

संदर्भ / Ref: R/y. Bd's letter No. E(NG) I-2003/TR/10/Pt. II dated 12/3/15.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।
DA : As above.

(मनोज के. चौधरी)
सहायक कार्मिक अधिकारी / ESM एवं रूलिंग
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पूमरे / हाजीपुर ।
2. महासचिव / एस0सी0 / एस0टी0 एशोसिएशन / पूमरे / हाजीपुर ।
3. सहायक (एम्पी), पू0म0रे0, हाजीपुर, कृपया इसे नेट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ0 बी0सी0 एसोसिएशन / पूमरे / हाजीपुर

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर
रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या सं. ---
दिनांक 30.9.15

आरबीई सं. 18/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2003/टीआर/10/पार्टIII

नई दिल्ली, दिनांक 12.03.2015

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें,
(मानक सूची के अनुसार).

प्रबंध निदेशक,
आईआरसीटीसी,
16, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
नई दिल्ली.

विषय: नई खानपान नीति 2010 - 188 डीम्ड प्रतिनियुक्त पदधारियों (डीडीओ) को आईआरसीटीसी से रेलों में वापस भेजना।

बोर्ड के दिनांक 02.03.2015 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 13/2015) के पैरा 2 की दूसरी लाइन में प्रयुक्त "प्रतिनियुक्ति के आधार पर" अभिव्यक्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस मामले पर पुन: विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि अभिव्यक्ति "प्रतिनियुक्ति के आधार पर" को हटाया गया माना जाए।

2. कृपया पावती दें।

(एम. के. मीणा)
उप निदेशक स्था. (एन)
रेलवे बोर्ड

R.B. Estt No. 18 /2015

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

35

No. E(NG)I-2003/TR/10/Pt III

New Delhi, dated 12.03.2015

The General Managers (P),
All Indian Railways,
(As per standard list).

The Managing Director,
IRCTC,
16, Parliament Street,
Bank of Baroda Building,
New Delhi.

Sub : New Catering Policy 2010 - Repatriation of 188 Deemed Deputationist Officials (DDOs) to Railways from IRCTC.

Attention is invited to the expression "on deputation terms" used in the second line of para 2 of Board's letter of even number dated 02.03.2015 (RBE No. 13/2015). The matter has been reviewed further and it has been decided that the expression "on deputation terms" may be treated as deleted.

2. Please acknowledge receipt.

Hindi version will follow.

(M.K.Meena)
Deputy Director Estt (N)
Railway Board